Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

कालुराम पुत्र उदाराम जाति नायक निवारी धोलिया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम लालूराम वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 214/**2024** **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.11.2024	आज यह प्रार्थना पत्र कालुराम ने जरिये श्री कैलाश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 585/36 तादादी 0.5000 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 35 तादादी 14.8000 हैक्टेयर वाकेरोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 24.12.2024 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 24.12.2024 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
16.12.2024	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र वास्ते पत्रावली आज की पेशी में ली जाकर प्रा.पत्र विड्रो करने की अनुमति प्रदान करने का पेश करने पर पेशी में ली गई। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के आधार पर प्रार्थी [illegible] स्तर पर खारिज प्रार्थना पत्र जरिये विड्रोवल में [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] दफ्तर हो। वाजिब नम्बर से [illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Uma Mittal Date: 2024.12.23 11:51:54 IST Reason: SelfAttested (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	